

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग


क्रमांक: प. 3 (9) शिक्षा-4/2014

जयपुर, दिनांक 20/10/2020

पब्लिक नोटिस

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक पृथक-पृथक अधिनियमों के द्वारा स्थापित 51 निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से पूर्व विद्यार्थी/अभिभावक निम्न जाँच करले :-


- 1 इन निजी विश्वविद्यालयों को कैम्पस से बाहर स्टेडी सेन्टर/ऑफ कैम्पस सेन्टर/आफ शार सेन्टर बिना राज्य सरकार एवं यू.जी.सी की अनुमति खोलने का अधिकार नहीं है।
- 2 निजी विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की अनुसूची-2 अथवा अधिनियम की धारा 04 में वर्णित पाठ्यक्रम सम्बन्धित नियामक निकायों की अनुमति के उपरान्त ही संचालित कर सकते हैं।
- 3 पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट के आधार पर ही दिये जा सकते हैं, परन्तु व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिये जा सकते हैं। जिन व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की एजेन्सियां प्रवेश परीक्षा आयोजित करती हैं उनमें प्रवेश परीक्षा द्वारा सीटें आवंटित कराकर ही प्रवेश दिये जा सकते हैं।
- 4 निम्न विश्वविद्यालयों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें एवं अनियमितताओं के प्रकरण की जाँचें विचाराधीन हैं अथवा न्यायालय में लम्बित हैं। इनमें प्रवेश से पूर्व छात्र/अभिभावक सही तरीके से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही प्रवेश लें :-
  - 1 ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरु।
  - 2 जगदीश प्रसाद झाबर मल टीबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला, झुंझुनू
  - 3 सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनू)
  - 4 श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, झुंझुनू
  - 5 सनराईज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत, अलवर।

  
(शुचि शमा)

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि-

- 1 सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 3 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
- 6 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को राजस्थान के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित करने हेतु।
- 7 प्रभारी, वेबसाईट आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पब्लिक नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करें व प्रेस विज्ञापित के माध्यम से वेबसाईट के लिंक के सबन्ध में सर्वसाधारण को अवगत करावें।
- 8 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा